न्यायालय विशेष न्यायाधीश(ई०सी०एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ़।

प्रेषिका,

मोनिका ठाकुर
विशेष न्यायाधीश(ई०सी०एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ़।

सेवा में,

महानिबंधक माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

जनपद न्यायाधीश महोदय,
प्रतापगढ़।

पत्रांक:-

दिनांक -

विषयः- पर्यटन हेतु विदेश जाने की अनुमति दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन करना है कि मेरे पति श्री राजेश कुमार मणि जो की राज्य विधि अधिकारी के पद पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में कार्यरत है और वो विदेश पर्यटन हेतु जा रहे हैं और मुझे भी अपने परिवार के साथ जून माह की रेसेस की छुटियों में दिनांक-१२.०६.२०२३ से २१.०६.२०२३ के मध्य यूरोपियन कन्ट्रीज (पेरिस व स्विटजरलैण्ड) ले जाना चाहते है। जिसमे एक व्यक्ति (मेरा) खर्चा लगभग ३.००-३.५० लाख रूपये है। जिसमे दोनों तरफ का एयर टिकट, रहना, खाना और वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वीजा की फीस, इंश्योरेन्स इत्यादि शामिल है। मेरे पासपोर्ट की वैलीडिटी सन २०२१ में समाप्त हो गयी थी। जिसका नवीनीकरण कराये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी जा चुकी है तथा उक्त पासपोर्ट का नवीनीकरण अभी प्रक्रिया में लम्बित है। नवीन पासपोर्ट बनते ही उसकी छाया प्रति भेज दी जायेगी। मैं इस प्रार्थना पत्र के साथ अपने वेतन भुगतान खाते की अद्यतन स्थिति तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करके भेज रही हूँ। मेरे अतिरिक्त परिवार के अन्य सदस्यों का खर्चा मेरे पति श्री राजेश कुमार मणि वहन करेंगे। मेरे इस पर्यटन विदेश यात्रा से मेरे व भारत सरकार (केन्द्र व राज्य सरकार) के मध्य किसी प्रकार की दुविधा या संदेह की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। मेरे विदेश जाने की अनुमति पूर्व में अस्वीकृत नहीं की गयी है। मेरे द्वारा पूर्व में कोई विदेश यात्रा नहीं की गयी है। कृपया मुझे उपरोक्त स्थान पर पर्यटक के रूप में जाने की अनुमति प्रदान करने की महती कृपा करें।

दिनांक-२९.०३.२०२३

भवदीया,

(मोनिका ठाकुर)
विशेष न्यायाधीश(ई०सी०एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ़।

संलग्नक-

१. पासबुक की अद्यतन स्थिति की छाया प्रति।
२. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की छाया प्रति।